न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

1– अम्बाराम पिता भागीरथ, जाति टेलर,

2– कारूलाल पिता भागीरथ, जाति टेलर

3– राधेश्याम पिता भागीरथ, जाति टेलर

4– शिवनारायण पिता भागीरथ, जाति टेलर

निवासीगण–ग्राम तालीदाना, तहसील पिपलोदा

जिला रतलाम ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नंदीबाई पति पूनाजी,

2– भैरूलाल पिता पूनाजी

3– माधु पिता पूनाजी, जाति गायरी, निवासीगण–ग्राम तालीदाना, तहसील पिपलोदा जिला रतलाम

..................अनावेदक

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार पिपलोदा के प्रकरण क्रमांक 3–अ–13 / 2017--18 में पारित आदेश दिनांक 16 / 07 / 18 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणों के आधार पर सूचना दिनांक से अपील अंदर अवधि प्रस्तुत करता हैं।

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधी एवं विधान तथा रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवम् वैध कारण के आवेदक की कृषि भूमि में से नवीन रास्ता कायम करते हुए अंतरिम रास्ते का जो आदेश दिया है वह आदेश विधि, विधान एवम् प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वस्तु स्थिति को देखे व समझे बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित किया हैं । अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन पत्र दिया था जबकि अनावेदकगण के भूमि, स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 377 ग्राम तालीदाना सेमलिया मार्ग से लगी हुई है तथा इसी

निरन्तर.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4584/2018/रतलाम/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3.1.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	